

परिशिष्ट - 18.8
25 जनवरी, 1979 ई०

संख्या 8109/चौदह-2-503-77 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा-29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या वंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे ।

अनुसूची

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिए वन विभाग को हस्तान्तरित पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित सैक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि
इज्जतनगर मण्डल -	
1. रावतपुर से फर्रुखाबाद	
2. फर्रुखाबाद से कासगंज	
3. कासगंज जंक्शन से अछनेरा	
4. कासगंज जंक्शन से बरेली	
5. बरेली जंक्शन से काठगोदाम	
6. भोजीपुरा से मैलानी	
7. पीलीभीत से टनकपुर	
8. मथुरा जंक्शन से वृन्दावन	
9. पीलीभीत से शाहजहाँपुर	
10. सहवाजनगर से फरेगंज	
11. मुरादाबाद से काशीपुर	
12. काँशीपुर से रामनगर	
13. लालकुंआ से काँशीपुर	
14. मन्थना से जहांवत	
15. इज्जतनगर से सहमतगंज	
16. इज्जतनगर से कलहसकगंज	

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (उ०प्र०)

लखनऊ गण्डल-

1. गोरखपुर छावनी से गोण्डा
2. गोण्डा से लखनऊ जंक्शन
3. लखनऊ जंक्शन से रावतपुर
4. गैलानी से डालीगंज
5. गोरखपुर से गोण्डा (लूप)
6. मनकापुर से कटैया
7. गोण्डा से गैलानी
8. आनन्दनगर से नौतनवां
9. बरहवल से सीतापुर
10. गेंनसारी से जरवा
11. नानपारा से नेपालगंज रोड
12. दुदवा से गोपरीफन्टा
13. दुदवा से चन्दन चौकी
14. सीतापुर से थामरानगंज

वाराणसी गण्डल -

1. भटनी से गोरखपुर छावनी
2. भटनी से वाराणसी
3. वाराणसी से इलाहाबाद सिटी
4. भटनी से बनकटा
5. गोरखपुर से छावनी से तिनफेरिया
डाल्ट (लूप)
6. ओरिहार जंक्शन से बकुल्हा
7. छितौनी से कप्तानगंज
8. सलेमपुर से बरहजबाजार
9. इन्दरा से दोहरीघाट
10. फेफना से इन्दरा
11. मऊ जंक्शन से शाहगंज
12. ओरिहार से जौनपुर
13. माधोसिंह से चील्ड

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (उ०प्र०)

आज्ञा से
(एन० पी० निपासी)
सचिव